न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2020 (GCMS 2020/00030)	29.07.2020	29.01.2021

अनवान

ब्रदीलाल उर्फ बगदीराम पिता मोडीराम ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी अरनिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

निगराकार

बनाम

ग्राम पंचायत संगेसरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत संगेसरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ ।

गैर निगराकार

–:: निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत संगेसरा पंचायत समिति डूंगला रसीद संख्या 97 दिनांक 11.09.2001 बाबत् दिलाने हेतु ::–

उपस्थिति :– श्री आरसी पालीवाल — निगराकार
अनुपस्थित — गैर निगराकार

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/निगराकार ने दिनांक 11.09.2001 को विपक्षी के यहां आवासीय भूमि में प्लॉट प्राप्त करने हेतु नियमानुसार फीस अदा कर रसीद क्रमांक 97 दिनांक 11.09.2001 को 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये अदा कर दी, परंतु उक्त भूमि में आवासीय प्लॉट का पट्टा प्रार्थी को नहीं दिया गया और आवासीय प्लॉट पर कब्जा करीबन 40 वर्षो से चला आ रहा है, और मौके पर मुझ प्रार्थी ने बाउंड्री वाल बना रखी है। जिसमें खांखला वह जलाऊ लकड़ी व खण्डे पड़े हैं और प्रार्थी उक्त प्लॉट पर भैंसे आदि बांधता है, तथा मौके पर छाया कर रखी है। जिसकी लंबाई चौड़ाई 35X35 गज है। प्रार्थी निगराकार अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है, और प्रार्थी के जीविकोपार्जन का भी कोई साधन नहीं है। प्रार्थी ने उक्त मकान प्लॉट के अलावा अन्य कोई मकान प्लॉट नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 11.09.2001 को विपक्षी को नियमानुसार आवासीय पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही प्रार्थी को कोई पट्टा ही दिया। प्रार्थी निराकार निर्बाध एवं निरंतर रूप से लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिससे उक्त प्लॉट का पट्टा प्राप्त करने का अधिकारिणी है। प्रार्थी निराकार ने उक्त प्लाट के पट्टे बाबत ग्राम पंचायत संगेसरा और पट्टे बाबत पेश हुआ, और लेकिन ग्राम पंचायत विपक्षी ने पट्टा नहीं जारी किया, और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब ही दिया। जिससे असंतुष्ट होकर श्रीमान के समक्ष निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी निराकार द्वारा विपक्षी ग्राम पंचायत संगेसरा को दिनांक 11.09.2001 को पट्टा बनवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। परंतु कोई मुकम्मल कार्यवाही नहीं होने से विपक्षी ग्राम पंचायत संगेसरा से दिनांक 10.07.2020 को नोटिस क्रम संख्या 20 दिया जो कि वाद कारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। विपक्षी ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा दिनांक 10.07. 2020 को आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बाड़े बना रखे हैं जो कि कानूनन अपराध है का गलत नोटिस बगदीराम पिता मोडीराम निवासी अरनिया को 15 दिवस में कब्जा हटा लेने का दिया जो गलत है। जिससे यह निगरानी पेश करना आवश्यक हो गया है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगरा कार की निगरानी स्वीकार पर में जाकर प्रार्थी के द्वारा जारी रसीद क्रमांक 97 दिनांक 11.09.2001 आवासीय भूमि का पट्टा प्रार्थी निराकार के नाम जारी किए जाने का आदेश फरमाया जावे प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 29.01. 2021 को गैर निगराकार बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहें। एवं अधिवक्ता निगराकार द्वारा बहस का निवेदन किया गया। इस पर अधिवक्ता निगराकर द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकतरफा सुना। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निगराकार ने आवासीय भूमि में प्लॉट प्राप्त करने हेतु नियमानुसार फीस अदा कर रसीद क्रमांक 97 दिनांक 11. 09.2001 को 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये अदा कर दी, परंतु उक्त भूमि में आवासीय प्लॉट का पट्टा प्रार्थी को नहीं दिया गया और आवासीय प्लॉट पर कब्जा करीबन 40 वर्षो से चला आ रहा है, और मौके पर मुझ प्रार्थी ने बाउंड्री वाल बना रखी है। जिसमें खांखला वह जलाऊ लकड़ी व खण्डे पड़े हैं और प्रार्थी उक्त प्लॉट पर भैंसे आदि बांधता है, तथा मौके पर छाया कर रखी है। जिसकी लंबाई चौड़ाई 35X35 गज है। प्रार्थी निगराकार अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है, और प्रार्थी के जीविकोपार्जन का भी कोई साधन नहीं है। प्रार्थी ने उक्त मकान प्लॉट के अलावा अन्य कोई मकान प्लॉट नहीं है, अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार ग्राम पंचायत संगेसरा को प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की । पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का मनन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के प्रावधानुसार –

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may,either of its own motion or on application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/ 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। प्रावधानानुसार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश/निर्णय के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने की क्षेत्राधिकारित इस न्यायालय को प्राप्त है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत संगेसरा द्वारा कोई भी निर्णय/आदेश पारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को अदम साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सुसंगत नहीं पाये जाने पर खारीज की जाती है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:13 IST
Reason: SelfAttested